

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सूट संख्या- 61/2022-23

कान्डे राम कोड़ा।

बनाम


नरसिंह कोड़ा एवं अन्य।


आदेश

यह वाद दिनांक- 21.09.2022 को वादी कान्डे राम कोड़ा, पिता- स्व० नरेश हो उर्फ नरेश चन्द्र कोड़ा, निवासी ग्राम- कसिरा, टोला- तालासाई, पो०- मालुका, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का Partition by metes and bounds between both party के लिए प्रतिवादी नरसिंह कोड़ा, पिता- स्व० नरेश हो उर्फ नरेश चन्द्र कोड़ा एवं 10 अन्य सभी का निवासी ग्राम- कसिरा, टोला- तालासाई, पो०- मालुका, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दाखिल किया गया है। नोटिस प्राप्त के बाद प्रतिवादीगण उपस्थित। दिनांक- 02.11.2022 को वादी स्वयं उपस्थित होकर बयान दिया कि उनका तबियत बराबर खराब रहने के कारण अब वह यह केश नहीं लड़ेंगा।

अतः दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत इस वाद को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


12.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


12.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।